सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति
(2019-2020)

11

सत्रहवीं लोक सभा

ग्यारहवाँ प्रतिवेदन

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय वारांणसी के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के बारे में समिति द्वारा अपने तीसरे प्रतिवेदन (सोलहवीं लोकसभा) में की गई सिफारिशों / टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई ।

(20.03.2020 को प्रस्तुत किया गया)

सत्यमेव जयते

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली.

मार्च, 2020/ फाल्गुन, 1941 (शक)

विषय सूची

		पृष्ठ
समिति की संरचना (2019-2020)		(iii)
प्राक्कथन		(iv)
प्रतिवेदन	सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति के तीसरे प्रतिवेदन (सोलहवीं लोक सभा) के अध्याय-एक में की गईसिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई	01
परिशिष्ट	सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति के तीसरे प्रतिवेदन (सोलहवीं लोक सभा) के अध्याय-एक में की गई सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण	03
अनुबंध	समिति की 04.03.2020 को हुई बैठक का कार्यवाही सारांश	07

सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति की संरचना

(2019-2020)

श्री श्याम सिंह यादव - सभापति

सदस्य

2. डॉ. शफीकुर्रहमान बर्क
3. श्री मारगनी भरत
4. डॉ. ए. चेल्लाकुमार
5. ~~श्री पल्लब लोचन दास~~
6. श्री चौधरी मोहन जटुआ
7. चौधरी महबूब अली कैसर
8. डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे
9. श्री राजा अमरेश्वर नाईक
10. श्री जामयांग शेरिंग नामग्याल
11. श्रीमती अपरूपा पोद्दार
12. श्री टी.एन. प्रथापन
13. श्री एस. रामलिंगम
14. श्री सप्तगिरी शंकर उलाका
15. श्री अशोक कुमार यादव

सचिवालय

1. श्री बी. श्रीनिवास प्रभु - संयुक्त सचिव
2. श्री कुशल सरकार - निदेशक
3. श्री मुनीश कुमार रेवाड़ी - अपर निदेशक
4. श्रीमती रजनी भगत - समिति अधिकारी

8 cpt cover page 2019 kk

प्राक्कथन

मैं, सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति का सभापति, समिति द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किए जाने पर समिति के तीसरे प्रतिवेदन (सोलहवीं लोक सभा) के अध्याय-दो में अंतर्विष्ट सिफारिशों / टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में यह ग्यारहवाँ प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

2. समिति ने 04.03.2020 को हुई अपनी बैठक में इस प्रतिवेदन पर विचार किया और इसे स्वीकार किया ।

3. संदर्भ की सुविधा के लिए, समिति की टिप्पणियों / सिफारिशों को प्रतिवेदन में मोटे अक्षरों में मुद्रित कराया गया है।

नई दिल्ली;
मार्च, 2020
फाल्गुन, 1941 (शक)

श्याम सिंह यादव
सभापति,
सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी
समिति।

9 cpl cover page 2019 kk

प्रतिवेदन

समिति का यह प्रतिवेदन उसके तीसरे प्रतिवेदन (अध्याय-एक) (16 वीं लोकसभा) जो कि 04.08.2015 को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था, में की गई सिफारिशों / टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई से संबंधित है।

2. उपरोक्त प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सभी सिफारिशों/टिप्पणियों के संबंध में सरकार से की-गई-कार्रवाई उत्तर प्राप्त हो गए हैं। तद्नुरूप तीसरे प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण परिशिष्ट में दिया गया है।

3. समिति ने अपने तीसरे प्रतिवेदन (अध्याय -एक) में मानव संसाधन विकास मंत्रालय (उच्चतर शिक्षा विभाग) के वर्ष 1999-2000 से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को समय पर सभा पटल पर रखने में हुई विफलता की ओर इंगित किया था और सिफारिश की थी विश्वविद्यालय के दस्तावेजों को संबंधित लेखावर्ष के समाप्त होने के 9 माह के भीतर सभापटल पर रखने के लिए संविधि में एक उपबंध शामिल किया जाए और भविष्य में दस्तावेज सभापटल पर विहित अवधि के भीतर रखे जाने को सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किए जाएं। समिति ने मंत्रालय से प्राप्त की गई कार्रवाई उत्तरों से पाया कि उन्होंने धारा / खण्ड 10 (4) को सम्मिलित करके संविधि में कुछ संशोधन किया है, जिसमें कहा गया है कि विश्वविद्यालय के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखे प्रति वर्ष नवम्बर के मध्य तक होने वाली न्यायालय की वार्षिक बैठक में प्रस्तुत किए जाएंगे। यह भी बताया गया कि इस संशोधन के बारे में वर्ष 2010 में विश्वविद्यालय को भी बता दिया गया था| तथापि, समिति यह देखकर निराश है कि विश्वविद्यालय के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखे बाद के वर्षों में अर्थात 2014-2015 से 2017-2018 तक सभा पटल पर 04 दिन से 07 माह तक के विलंब से रखे गए थे|
वर्ष 2018-19 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखा परीक्षित लेखे अभी तक सभापटल पर नहीं रखे गए।
[समिति इस स्थिति पर अप्रसन्नता व्यक्त करती है और मंत्रालय को निर्देश देती है कि व प्रणालीगत खामियों को दूर करने के हर संभव प्रयास करे और समय पर दस्तावेजों को सभा

gvklp\ATR report\BHU ATR [illegible]

पटल पर रखना सुनिश्चित करने के लिए एक कार्य योजना तैयार करे और उसे लागू करे। भविष्य में, इस संबंध में, किसी भी प्रकार के विलंब को बहुत गंभीरता से देखा जाएगा।

मार्च , 2020
फाल्गुन , 1941 (शक)

श्याम सिंह यादव
सभापति,
सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति

gk/cpl/ATR report/BHU ATR job 338

परिशिष्ट

(देखिए प्रतिवेदन का पैरा 02)

समिति के अपने तीसरे प्रतिवेदन (सोलहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी

सिफारिश (पैरा सं. 1.20)

समिति को यह नोट करके निराश हुई है कि देश के सबसे प्रतिष्ठित केंद्रीय विश्वविद्यालयों में से एक बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी मानव संसाधन विकास मंत्रालय (उच्चतर शिक्षा विभाग) के नियंत्रणाधीन कार्य कर रहा है, विश्वविद्यालय के दस्तावेजों को समय पर सभापटल पर रखने के संबंध में 1999-2000 से उत्पन्न हुई समस्याओं से उबर नहीं सका । समिति ने पहले विश्वविद्यालय के वर्ष 1999-2000 से 2003-2004 से संबंधित दस्तावेजों को सभापटल पर रखने में विलंब के कारणों की जाँच की थी और सिफारिश की थी कि विश्वविद्यालय के वार्षिक प्रतिवदेन और लेखापरीक्षित लेखे संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखने के लिए बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय अधिनियम में विशिष्ट उपबंध होना चाहिए ।इससे पूर्व भी समिति ने बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय अधिनियम के वर्ष 1999-2000 से 2003-04 से संबंधित दस्तावेजों को रखने में हुए विलंब की जांच की थी और यह सिफारिश की थी कि बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय अधिनियम में विश्विविद्यालय के वार्षिक प्रतिवदन और लेखापरीक्षित लेखाओं को संसद की दोनों सभाओं के सभापटल पर रखने के लिए विशेष उपबंध किए जाएं। समिति यह नोट कर निराश है कि यद्यपि बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय अधिनियम अधिनियम, 1915 में केन्द्रीय विश्वविद्यालय नियम (संशोधन) अधिनियम, 2008 के द्वारा धारा 13(3) और धारा 13(क) को सम्मिलित कर कतिपय

संशोधन किए गए हैं जिसमें उल्लेख किया गया है कि विश्वविद्यालय के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखे भी संसद की दोनों सभाओं के सभापटल पर रखने के लिए केन्द्र सरकार को भी प्रस्तुत किए जाएंगी, तथापि, उपरोक्त धारा में इन पत्रों को रखने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है। अतः, समिति पुरजोर सिफारिश करती है कि विश्वविद्यालय के लेखापरीक्षित लेखे संबंधित लेखावर्ष के समाप्त होने के 9 माह के भीतर सभापटल पर रखने के लिए विधान में उपबंध शामिल किया जाए जैसा कि विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन रखे जाने के मामले में किया गया है। समिति आगे सिफारिश करती है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय (उच्चतर शिक्षा विभाग) और विश्वविद्यालय को दस्तावेजों को अंतिम रूप दिए जाने के कार्य की प्रगति पर लगातार निगरानी रखनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भविष्य में दस्तावेज सभापटल पर विहित अवधि के भीतर रखे जाएं।

सरकार का उत्तर

वार्षिक लेखाओं और वार्षिक रिपोर्ट के संबंध में बीएचयू अधिनियम की संगत धाराओं में संशोधनों को निम्नवत पढ़ा गया:-

धारा 13(3) : लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के साथ लेखाओं की एक प्रति केंद्र सरकार को भी प्रस्तुत की जाए, जिसे जल्द से जल्द, संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत किया जा सके।

धारा 13(क) :

(1) : विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट ईसी के निदेश के तहत तैयार की जाएगी और संविधियों द्वारा निर्धारित तिथि पर या उससे पहले कोर्ट में प्रस्तुत की जाएगी तथा कोर्ट द्वारा अपनी वार्षिक बैठक में इस पर विचार किया जाएगा।

(2) : कोर्ट, इस पर अपनी टिप्पणियां ईसी को संसूचित कर सकता है।

(3) : उप-धारा (1) के तहत तैयार वार्षिक रिपोर्ट की एक प्रति केंद्र सरकार को भी प्रस्तुत की जाए, जिसे जल्द से जल्द, संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत किया जा सके।

gk/cpl/report/BHU ATR job 'D8

उपरोक्त दो संशोधनों अर्थात धारा 13(3) और धारा 13(क) को केंद्रीय विश्वविद्यालय विधि (संशोधन) अधिनियम, 2008 के अधिनियमन के अनुसार बीएचयू अधिनियम में अंतर्निर्दिष्ट किया था।

चूंकि धारा 13(क)(1) में वार्षिक रिपोर्ट को कोर्ट में संविधि द्वारा निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रस्तुत करने की आवश्यकता उल्लिखित है, धारा/खंड 10(4) को अंतर्निदिष्ट करके कुछ संशोधन किए गए हैं जिनमें स्पष्ट है कि विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट कोर्ट को उसकी प्रत्येक वर्ष नवंबर के बीच में होने वाली वार्षिक बैठक में प्रस्तुत की जाएगी"। यह संविधि संशोधन जो बीएचयू की संविधियों में उल्लिखित है, को वर्ष 2010 में विश्वविद्यालय को संसूचित किया गया था।

इसके अतिरिक्त, सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति ने अपनी पहली रिपोर्ट (पांचवी लोकसभा) के पैरा 3.5 में अपेक्षा की है कि विचाराधीन दस्तावेज संबंधित वित्तीय वर्ष के समाप्त होने से 9 महीने के भीतर प्रस्तुत किए जाए।

मंत्रालय के साथ-साथ विश्वविद्यालय द्वारा विचाराधीन दस्तावेजों को वित्तीय वर्ष की समाप्ति से 9 महीने के भीतर प्रस्तुत करने के हर संभव प्रयास किए जाते हैं।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के दिनांक 26.11.2019 के कार्यालय ज्ञापन सं. 1-5/2016-सीयू-V के माध्यम से।

सिफारिश (पैरा सं. 1.21)

समिति नोट करती है कि (2010-11 से 2013-14) के विश्वविद्यालय के वार्षिक प्रतिवेदन सभापटल पर विहित अवधि के भीतर रखे गए परन्तु इन्हीं वर्षों के लेखापरीक्षित लेखे 2 महीने से 07 महीने के विलंब से सभापटल पर रखे गए। मंत्रालय इन वर्षों में विलंब का कारण मुख्यतः लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र समय पर प्रस्तुत करने के लिए इस माले को लेखापरीक्षा प्राधिकारियों के समक्ष बार-बार उठाए जाने के बावजूद लेखापरीक्षा प्राधिकारियों से समय पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सहित लेखापरीक्षित लेखे समय पर प्राप्त न होना बताया है। इस संदर्भ में, समिति ने बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के आंतरिक लेखापरीक्षा स्कंध के बारे में उत्तरवर्ती लेखापरीक्षा दलों द्वारा की गई एक महत्वपूर्ण टिप्पणी को भी नोट किया कि यह संगठन के आकार के अनुरूप नहीं है। अतः समिति मंत्रालय से आग्रह करती है कि वह संगठन के आंतरिक लेखापरीक्षा स्कंध को सुव्यवस्थित करने पर अपेक्षित ध्यान दे ताकि संगठन के भीतर लेखापरीक्षा का कार्य निर्धारित अवधि में पूरा किया जा सके। समिति मंत्रालय द्वारा इस संबंध में की गई कार्रवाई से अवगत होना चाहेगी।

सरकार का उत्तर

विश्वविद्यालय में आंतरिक लेखापरीक्षा अधिकारी (सीएजी कार्यालय से प्रतिनियुक्ति पर) की अध्यक्षता में एक आंतरिक लेखापरीक्षा स्कंध है जो प्रशासनिक तौर पर वित्त अधिकारी को रिपोर्ट करता है। उनकी सहायता के लिए 5 (पांच) अनुभाग अधिकारी, 3 (तीन) वरिष्ठ सहायक, 5 (पांच) वरिष्ठ लिपिक और 7 (सात) कार्यालय सहायक हैं। उपरोक्त के अलावा, विश्वविद्यालय में विभिन्न मुद्दों पर आंतरिक लेखापरीक्षा अधिकारी की सहायता के लिए 2 (दो) वरिष्ठ लेखाकार हैं जो सीएजी कार्यालय से प्रतिनियुक्ति पर आए हैं। इसके अलावा, विश्वविद्यालय की 242 लेखापरीक्षात्मक इकाईयों की लेखापरीक्षा के उचित कार्यनिष्पादन के लिए वार्षिक योजना तैयार की गई है। इसको और सुदृढ़ करने के लिए भी प्रयास किए गए हैं।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के दिनांक 26.11.2019 के कार्यालय ज्ञापन सं. 1-5/2016-सीयू-V के माध्यम से।

gk/cpl/report/BHU ATR /pb 338

अनुबंध

सभापटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (2019-20) की बैठक के कार्यवाही सारांश के उद्धरण

समिति की बैठक, बुधवार, 04 मार्च, 2020 को 15:00 बजे से 16:00 बजे तक समिति कक्ष 'ई', संसदीय सौध, नई दिल्ली में हुई ।

उपस्थित

श्री श्याम सिंह यादव - सभापति

सदस्य

2. श्री शफीकुर्रहमान बर्क
3. श्री पल्लव लोचन दास
4. चौधरी महबूब अली केसर
5. डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे
6. श्री राजा अमरेश्वर नाईक
7. श्री जामयांग शेरिंग नामग्याल
8. श्री टी.एन. प्रथापन
9. श्री सप्तगिरी उलाका
10. श्री अशोक कुमार यादव

सचिवालय

1. श्री बी. श्रीनिवास प्रभु - संयुक्त सचिव
2. श्री कुशल सरकार - निदेशक
3. श्री मुनिश कुमार रेवाड़ी - अपर निदेशक

X X X X X

X X X X X

X X X X X

2. सर्वप्रथम, माननीय सभापति ने समिति की बैठक में सदस्यों का स्वागत किया और उन्हें इस बैठक की कार्यसूची से संक्षेप में अवगत कराया।

3. तत्पश्चात्, समिति ने वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में विलम्ब से संबंधित निम्नलिखित प्रतिवेदनोंपर विचार करने के लिए लिया।

(1) भारत ब्राडबैंड नेटवर्क लिमिटेड (बीबीएनएल), नई दिल्ली;
(2) एसईजेड-फाल्टा, कोलकाता, एसईईपीजेड, मुंबई और नोयडा;
(3) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए), नई दिल्ली;
(4) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली;
(5) विज्ञान और अभियांत्रिकी अनुसंधान बोर्ड, नई दिल्ली;
(6) राष्ट्रीय खेलकूद विकास निधि (एनएसडीएफ);
(7) पांच क्षेत्रीय सांस्कृति केन्द्र अर्थात दक्षिण क्षेत्र सांस्कृति केन्द्र (एसजेडसीसी), तंजावुर, पश्चिम क्षेत्र सांस्कृति केन्द्र (डब्ल्यूजेडसीसी), उदयपुर, दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृति केन्द्र (एससीजेडसीसी), नागपुर, उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृति केन्द्र (एनसीजेडसीसी), इलाहाबाद और उत्तर पूर्व क्षेत्र सांस्कृति केन्द्र (एनईजेडसीसी), दीमापुर;
(8) भारतीय निर्यात निरीक्षण परिषद (ईआईसी)।

कुछेक चर्चा करने के उपरांत, समिति ने बिना किसी संशोधनों के इन आठ प्रतिवेदनों को स्वीकार किया।

4. तत्पश्चात्, समिति ने वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में विलम्ब से संबंधित समिति द्वारा अपने प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों/टिप्पणियों पर निम्नलिखित प्रारूप की-गई-कार्रवाई से संबंधित निम्नलिखित प्रतिवेदनोंपर विचार करने के लिए लिया।

(1) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीबीसीबी), नई दिल्ली;
(2) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी), नई दिल्ली;
(3) बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी;
(4) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़;
(5) नेहरू युवा केन्द्र संगठन, नई दिल्ली;
(6) राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान (एनआईएसई), नई दिल्ली;

(7) मुख्य आयुक्त, दिव्यांगजन कार्यालय (सीसीपीडी), नई दिल्ली;
(8) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (एनसीएसटी), नई दिल्ली;
(9) राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग (एनसीएसके), नई दिल्ली;
(10) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मेघालय;
(11) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मिजोरम;
(12) राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी), नई दिल्ली;
(13) एम्स (भोपाल, भुवनेश्वर, जोधपुर, पटना और ऋषिकेश);
(14) सेंटर फॉर डेवलपमेंट फॉर टेलीमेटीक्स (सी-डॉट), नई दिल्ली; तथा
(15) राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा अनुसंधान संस्थान (नाईपर), मोहाली।

कुछेक चर्चा करने के उपरांत, समिति ने बिना किसी संशोधनों के इन पंद्रह प्रतिवेदनों को स्वीकार किया।

5. समिति ने इस प्रतिवेदन को संसद में प्रस्तुत करने हेतु माननीय सभापति को प्राधिकृत किया।

6-16. X X X X X

तत्पश्चात्, समिति की बैठक स्थगित हुई।